न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./35/2022/बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. सोनाराम पुत्र भंवराराम 2. लक्ष्मणराम पुत्र श्री भंवराराम 3. देवी पुत्री श्री भंवराराम जाति जाट प्रार्थी संख्या 01 से 03 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता भंवरीदेवी पत्नी भंवराराम जाति जाट 4. भंवरीदेवी पत्नी भंवराराम जाति जाट सभी निवासीयान कंवरली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. भंवराराम पुत्र भगाराम 2. चैनीदेवी पत्नी भगाराम 3. छतराराम पुत्र आदाराम 4. गंगाराम पुत्र आदाराम 5. चैनाराम पुत्र आदाराम 6. माडूदेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी कंवरली 7. श्रीमान हल्का पटवारी कालेवा 8. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 143/2020 बउनवान सोनाराम बनाम भंवराराम आदेश दिनांक 26.11.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रूगाराम कड़वासरा अपीलान्ट की ओर से।
2. उत्तरदातागण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—16.04.2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा कंवरली पटवार क्षेत्र कालेवा के खेत खसरा संख्या 47 रकबा 309.06 बीघा, व खसरा संख्या 202/7 रकबा 27.19 बीघा कुल रकबा 337.05 बीघा भूमि के 1/8 हिस्से की भूमि की यथास्थिति बनाए रखने हेतु हस्तगत आवेदन मय मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपीलाधीन आराजी पैतृक है। अपीलाधीन आदेश अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया, बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी पैतृक है। अपीलाधीन आराजी में अपीलांटस

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

का जन्म से ही हक हिस्सा नियत है। उत्तरदाता संख्या 01 जो कि नशे का आदी हैं तथा हर समय नशे की हालत में रहता हैं तथा प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा उनके विरूद्ध दावा पेश करने से वो ओर ज्यादा नाराज चल रहा हैं। अपीलांट को लगातार धमकियां दे रहा हैं कि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में मेरे नाम से हैं तथा आगे ओर बेचान कर दूंगा। यदि अपीलाधीन आराजी का उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा ओर बेचान किया जाता है तो अपीलांटगण अपने पैतृक हिस्से को प्राप्त नही कर पायेगें। अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित किया गया। पत्रावली कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु नियत की गई इस बाबत अपीलांटस को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिसें अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जान संभव नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर निर्णय पारित करना उचित होगा। अधिवक्ता अपीलांटस ने धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि कोविड–19 महामारी के चलते अपीलांटस नाबालिग एवं महिला होने से अपने अधिवक्ता से मिलकर जानकारी प्राप्त नही कर सके, जिस पर अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा अपीलांटगण को स्टे का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार फरमाने की जानकारी देने पर अधीनस्थ न्यायालय से प्रमाणित नकले दिनांक 15.02.2022 को प्राप्त की तब प्रथम दृष्टया अपीलांटगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इस कारण यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर शुमार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांटस की धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदु पर करने की बजाय गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना विधि सम्मत है। अतः अपीलांटस की अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मूल वाद के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी का बेचान/हस्तांतरण किया जाता है तो अपीलांटस के हितों पर कुठाराघात होगा। वाद के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी का संरक्षण करना न्यायालय का दायित्व है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांटस के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 143/2020 बउनवान सोनाराम बनाम भंवराराम आदेश दिनांक 26.11.2021 को अपास्त किया जाता है तथा उत्तरदाता संख्या 01 को पाबंद किया जाता है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज भूमि का बेचान/हस्तांतरण नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

16/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर